No. PSM/5/2012/MRLY/1/SERVICE/RU-2

माननीय सदस्य महोदय (बी.एल.एम.) द्वारा दिनांक 26.07.2012 को 11.30 बजे श्री प्यार सिंह मीणा ट्रेन टिकट परीक्षक (रेलवे), रीवा (मध्य प्रदेश) के मामले में ली गयी बैठक की कार्यवाहियां

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय सदस्य (बी.एल.एम.) महोदय ने शिकायतकर्त्ता श्री प्यार सिंह मीणा से मामले के सभी तथ्यों को बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। श्री प्यार सिंह मीणा ने बताया कि घटना के दिन अर्थात् दिनांक 29.12.2011 को उनकी ड्यूटी गाड़ी सं0 11452 में कोच सं0 सी–I एवं डी– I में थी। कटनी स्टेशन में एक यात्री जिसने अपना नाम श्री शुक्ला बताया, ने एक सीट देने को कहा जिसे सीट उपलब्ध न होने के कारण सीट नहीं दी जा सकी। उस यात्री ने शिकायतकर्त्ता को श्री राय विजिलेंस इंस्पेक्टर से बात करायी तथा स्वयं को विजिलेंस अधिकारी बताकर शिकायतकर्त्ता के साथ गाली–गलौज की, उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी तथा गालियों में जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। प्रार्थी ने बताया कि उसने घटना की सूचना कामर्सियल कंट्रोलर, जबलपुर को देनी चाही किन्तु मोबाईल का बैटरी समाप्त हो जाने से बात नहीं हो पायी। शिकायतकर्त्ता ड्यूटी के लिए दूसरे डिब्बे में चला गया। शिकायतकर्त्ता ने माननीय सदस्य महोदय को आगे बताया कि गाड़ी के जबलपुर पहुंचने पर आर. पी.एफ. के चार–पांच कांसटेबल, सब इंसपेक्टर एवं नीरज कुकरेजा, श्रीवास्तव, विजिलेंस इंसपेक्टर आदि शिकायतकर्त्ता का गिरेबान पकड़कर जबरदस्ती आर.पी.एफ. थाने ले गये। शिकायतकर्त्ता ने बैठक को बताया कि थाने में उसे निर्वस्त्र किया गया था। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालियां दी गयी तथा नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी गयी। प्रार्थी के पास सरकारी कैश (cash) की चेकिंग की गयी। कुछ भी अतिरिक्त न निकलने के कारण उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। शिकायतकर्त्ता ने बैठक को बताया कि सीट मांगने वाला व्यक्ति जो स्वयं को शुक्ला बता रहा था वह वास्तव में सुभाष यादव था जो कि रेलवे विजिलेंस में ही तैनात है।

3. श्री प्यार सिंह मीणा/ शिकायतकर्त्ता ने माननीय सदस्य महोदय को बताया कि उन्होंने घटना की सूचना उसी दिन जीआरपी थाने में दर्ज करायी तथा रेलवे अधिकारियों से लिखित में अपना ट्रांसफर, कोटा क्षेत्र मे करवाने की प्रार्थना की, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने उसे विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी। शिकायतकर्त्ता ने सदस्य महोदय को आगे बताया कि जीआरपी कटनी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है तथा जांच जारी है। शिकायतकर्त्ता ने यह भी बताया कि आरोपी अब उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। शिकायतकर्त्ता ने बैठक में यह डर

भैरु लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

7/9/2012

व्यक्त किया कि उसके खिलाफ साजिश चल रही है तथा उसे किसी झूठे केस में फंसाकर नौकरी से न निकाल दिया जाए।

4. माननीय सदस्य महोदय ने रेलवे अधिकारियों से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जिस पर श्री नन्द किशोर, सी.पी.ओ. ने बताया कि जिन व्यक्तियों पर आरोप है उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से शिकायतकर्त्ता की जीआरपी में दर्ज शिकायत पर होने वाली कार्यवाही पर स्टे ले लिया है। अतः विभाग उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि शिकायतकर्त्ता को कोटा क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। श्री सुनील वी. आर्य, जी.एम., वेस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे ने आश्वासन दिया कि प्रार्थी के साथ कोई प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने भी उच्च न्यायालय के स्टे के कारण आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की असमर्थता जतायी। माननीय सदस्य महोदय ने रेलवे अधिकारियों को विस्तार से क्रास एक्जामिन करते हुए यह बताया कि शिकायतकर्त्ता की शिकायत तथ्यों पर आधारित होने के कारण ही जी.आर.पी. ने अपराध दर्ज कर कार्यवाही की। माननीय सदस्य महोदय ने रेलवे अधिकारियों को यह भी स्पष्ट तौर पर बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आर्डर तो अपराध की जांच पर है। अतः जांच ही तो रोकी जा सकती है। सदस्य महोदय ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरोपियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पर तो कोई स्टे नहीं है। अतः रेलवे को तुरंत आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए एवं दो माह के अन्दर विभागीय जांच पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट की प्रति आयोग को जानकारी के लिए भेजी जाए। महाप्रबंधक से यह भी आग्रह किया गया कि All India Scheduled Caste and Scheduled Tribes Railway Employees Association (Zonal Executive Committee WC Rly. Jabalpur) द्वारा इस संदर्भ में भेजे गए पत्र सं0 6, 12, 13, 16, 18, 21, 32, 46, 47, 48, 51, 57 व 59 के जवाब की प्रति भी आयोग की जानकारी हेतु विभागीय जांच रिपोर्ट के साथ आयोग को भेजी जाये। माननीय सदस्य महोदय ने रेलवे अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने तथा उनके खिलाफ होने वाली ज्यादतियों/प्रताड़नाओं के निवारण के लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के संवैधानिक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

7/9/2012

भीरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

पदाधिकारियों/अधिकारियों की सूची

अ. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य
2. श्री सुरेश चन्द्र तामता, अवर सचिव

ब. रेल विभाग

1. श्री सुनील वी.आर्य, जी.एम.
2. श्री नन्द किशोर, सी.पी.ओ.

स. शिकायतकर्त्ता

1. श्री प्यार सिंह मीणा, ट्रेन टिकट परीक्षक